B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI

7.1.9 Sensitization of students and employees of the Institution to the constitutional obligations: values, rights, duties and responsibilities of citizens

(1) Activities that inculcate values necessary to render students in to responsible citizens.

For The Academic Year 2019-20

HUMAN RIGHT DAY

खर समाचार, धमतरी मंगलवार 12 दिसम्बर 2017

प्रखर 12.12.2017

मानवाधिकार सभ्य समाज की पहचान

पी.जी. कॉलेज में मानवाधिकार दिवस की शपथ एवं संगोष्ठी

धमतरी (प्रखर)। बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम डॉ. श्रीदेवी चौबे ने महाविद्यालय के प्राध्यापकों, स्टॉफ एवं छात्र-छात्राओं को प्रातः 11 बजे भारत के संविधान का पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा से निभाने, बिना किसी भेदभाव के सभी के मानव अधिकारों का सम्मान एवं समर्थन करने, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी के मानव अधिकार का अपने विचार, शब्द या कार्य से नुकसान नहीं पहुंचाने की शपथ दिलाई। दोपहर 12 बजे से विधि विभाग में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में डॉ. सपना ताम्रकार ने मानवाधिकार दिवस मनाने के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रो. पंकज जैन ने मौलिक अधिकार एवं मानव अधिकार में अन्तर बताते हुए सभी को अपने मानवाधिकारों के प्रति सदैव जागरूक रहने का संदेश देते हुए कहा कि हमें अपने मानवाधिकार के प्रयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण हो। मानवाधिकारों का अतिक्रमण होने पर हमें उपचार प्राप्ति हेतु हमेशा सजग रहना चाहिए। प्रो. कोमल प्रसाद यादव ने मानवाधिकार का अर्थ-उद्देश्य बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालते हु[ए] कहा कि मानवाधिकार सभ[्य] समाज की पहचान है। संगो[ष्ठी] में राष्ट्रीय सेवा योजना [के] स्वयंसेवक देवेन्द्र, सत्येन्[द्र], पुनराज, योगेश, संज[य], जयप्रकाश आदि स्वयंसेवकों [ने] मानवाधिकार दिवस प[र] अपने-अपने विचार रखे।

संगोष्ठी का आयोजन वि[धि] विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योज[ना] के संयुक्त तत्वाधान में कि[या] गया। अंत में प्राचार्य [डॉ.] चन्द्रशेखर चौबे ने कहा [कि] प्रतिवर्ष हमारे महाविद्याल[य में] राष्ट्रीय मानवाधिकार दि[वस] मनाया जाता है। मानवाधि[कारों] की रक्षा हेतु हम कृत संक[ल्पित] है।

प्रखर 11.12.17

पीजी कॉलेज में मानव अधिकार दिवस मनाया

धमतरी (प्रखर)। बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में राजनीति विज्ञान विभाग में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एम.ए. तृतीय सेमेस्टर की छात्रा लक्ष्मी साहू ने मानवाधिकार के अनुच्छेदों के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी। बी.ए. भाग-तृतीय के छात्र प्रवीण दुबे एवं एम.ए. तृतीय सेमेस्टर की छात्रा योगिता यादव ने भी संबोधित किया।

विभाग की प्राध्यापिका निशा तिवारी ने बताया प्रस्तावना में मानव अधिकारों की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। विभागाध्यक्ष डॉ. प्रभा बेरूलकर ने मानवाधिकार दिवस को मनाने के कारण और उद्देश्य के विषय में बताया कि यह दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य है...

विधि विभाग में भी कार्यक्रम

इसी तरह कॉलेज के विधि विभाग में भी विश्व मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम प्रो. दुर्गेश प्रसाद ने सभी को शपथ दिलाई। डॉ. प्रेमनाथ भारती ने मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधानों को विस्तार से समझाया। प्रो. दुर्गेश प्रसाद ने मानवाधिकार को समझाते हुए कहा कि मानव अधिकार व्यक्ति को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है। अतः इसके संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। प्रो. पंकज जैन ने मानवाधिकार के ऐतिहासिक पहलुओं को अवसर पर कहा कि मानवाधिकार सभ्य समाज की पहचान है। जिस समाज में मानवाधिकार को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। हम उसे सभ्य समाज नहीं कह सकते। इस अवसर पर विधि विभाग-एक, दो एवं तीन तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

हरिभूमि 15/12/2016

कॉलेज में मानवाधिकार दिवस पर आयोजन

हरिभूमि न्यूज. धमतरी

...प्रदर्शन श्रीमती निशा तिवारी ने किया। राजनीति विज्ञान विभाग में प्रभारी प्राचार्य डॉ. श्रीदेवी चौबे के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसी प्रकार रासेयो एवं विधि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद ने मानवाधिकार एवं मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों पर प्रकाश डाला। डॉ. सपना ताम्रकार ने महिलाओं एवं बच्चों के मानवाधिकारों की जानकारी दी। प्रो. कोमल प्रसाद यादव ने मानवाधिकार को सभ्य समाज की पहचान बताया। प्रो. पंकज जैन ने मानवाधिकार एवं मौलिक में अंतर बताते हुए शिक्षा का अधिकार एवं प्राण दैहिक स्वाधीनता के अधिकार पर प्रकाश डाला। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन भी किया गया। जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक विनिता, दिव्या, नारायण प्रसाद, योगेश साहू, वेदप्रकाश, ओमप्रकाश, शरद आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। यह आयोजन रासेयो के कार्यक्रम अधिकारी प्रो. कोमल प्रसाद यादव एवं प्रो. पंकज जैन के मार्गदर्शन में किया गया। उक्त कार्यक्रम में रासेयो के स्वयंसेवक एवं विधि विभाग के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

WORK SHOP ON WOMEN EMPOWERMENT, DOMESTIC VIOLENCE IN LAW DEPARTMENT

प्रखर समाचार, धमतरी

पीजी कॉलेज धमतरी में महिला सशक्तिकरण एवं घरेलू हिंसा पर कार्यशाला

धमतरी(प्रखर)। बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में प्राचार्य डॉ. चन्द्रशेखर चौबे के निर्देशन में एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद, डॉ. सपना ताम्रकार, प्रो. पंकज जैन, प्रो. कोमल प्रसाद यादव एवं डॉ. प्रेमनाथ भारती के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के नवीन भवन के उपर हॉल में ''महिला सशक्तीकरण एवं घरेलू हिंसा विषय पर जागरूकता हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि सिराजुद्दीन कुरैशी (न्यायाधीश परिवार न्यायालय एवं विशिष्ट अतिथि सतीश खाखा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डॉ. भूपेन्द्र करवन्दे सहायक प्राध्यापक विधि, सीवीआर शास्त्री चीफ मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया थे. कार्यशाला की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. चन्द्रशेखर चौबे ने की। कार्यक्रम का प्रारंभ समस्त अतिथियों के पुष्पगुच्छ से स्वागत एवं मां सरस्वती के पूजा-अर्चना के साथ किया गया। कार्यक्रम में विधि के छात्र कमलेश्वर ने राज्य गीत ''अरपा पैरी के धार'' गाकर पूरे कार्यक्रम में उत्साह पैदा कर दिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रो. दुर्गेश प्रसाद ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए हैदराबाद एफआईआर की प्रक्रिया, रिमाण्ड, जमानती, अजमानती अपराध, चालान, सिविल एवं आपराधिक मामलों की प्रक्रिया, तालुका विधिक सेवा समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता डॉ. भूपेन्द्र करवन्दे ने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, सतीप्रथा, बाल विवाह, पर्दाप्रथा, महिला सशक्तिकरण, भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित उपबंध पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए महिला कानून के सदुपयोग महिलाओं को प्रदत्त संरक्षण पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रो. कोमल प्रसाद यादव ने कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्री के सम्मान के विरूद्ध हो। डॉ. प्रेमनाथ भारती ने महिलाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविराओं में किये गये उपबंधों की विस्तार से जानकारी दी। विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद एवं अन्य प्राध्यापकों के द्वारा समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। अंत में प्रो. पंकज जैन ने अतिथियों, विधि विभाग के छात्र-छात्राओं, एनएसएस के स्वयंसेवकों एवं स्टॉफ के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यशाला में विधि विभाग के शैलेष अग्रवाल, ओमेश्वर, जयप्रकाश साहू, जितेश, टिकेश, आकाश, प्रकाश, अंतरा, ईश्वरी, गायत्री, प्रेमलता, मुकेश, आशीष, प्राची शर्मा, तुषार, जयप्रकाश, राकेश, हेमराज, कुलेश्वर, कृष्णा, रूपेश, प्राची, लक्ष्मी, हिमांशु सहित विधि विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना

पुरूषों के लिए मर्यादा की बेड़िया होनी चाहिए

नवभारत न्यूज | धमतरी
www.navbharat.org

बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में प्राचार्य डॉ. चन्द्रशेखर चौबे के निर्देशन में एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद, डॉ. सपना ताम्रकार, प्रो. पंकज जैन, प्रो. कोमल प्रसाद यादव एवं डॉ. प्रेमनाथ भारती के मार्गदर्शन में महिला सशक्तीकरण एवं घरेलू हिंसा विषय पर जागरूकता हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि सिराजुद्दीन कुरैशी न्यायाधीश परिवार न्यायालय एवं विशिष्ट अतिथि सतीश खाखा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डॉ. भूपेन्द्र करवन्दे सहायक प्राध्यापक विधि, सीवीआर शास्त्री चीफ मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया थे. कार्यशाला की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. चन्द्रशेखर चौबे ने की. संचालन करते हुए प्रो. दुर्गेश प्रसाद ने घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए हैदराबाद सहित देश में हुई वर्तमान घटना पर चिंता व्यक्त की. मुख्य अतिथि सिराजुद्दीन कुरैशी ने मूल कर्तव्य, श्रम दिवस, भरण पोषण अधिनियम एकान्तता का अधिकार, के बारे में विस्तार से

फैक्ट फाईल

- महिला सशक्तीकरण व घरेलू हिंसा पर कार्यशाला
- पीजी कॉलेज धमतरी में हुआ आयोजन

जानकारी देते हुए कहा कि स्त्री सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है. सतीश खाखा ने एफआईआर की प्रक्रिया, रिमाण्ड, जमानती, अजमानती अपराध, चालान, सिविल एंव आपराधिक मामलों की प्रक्रिया, तालुका विधिक सेवा समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली पर विस्तार से प्रकाश डाला. मुख्य वक्ता डॉ. भूपेन्द्र करवन्दे ने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, महिला सशक्तिकरण, भारतीय संविधान में महिलाओं से सबंधित उपबंध पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए महिला कानून के सदुपयोग किये जाने पर जोर दिया साथ ही पुरूषों को भी कहा कि पुरूषों के लिए मर्यादा की बेड़िया होनी चाहिए. डॉ. सपना ताम्रकार ने कहा कि महिला एवं पुरूष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नही होना चाहिए. प्रो. पंकज जैन ने महिलाओं से सबंधित विभिन्न कानूनों, संविधान के द्वारा महिलाओं को प्रदत्त संरक्षण पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया. प्रो. कोमल प्रसाद यादव ने कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्री के सम्मान के विरूद्ध हो. डॉ. प्रेमनाथ भारती ने महिलाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविराओं में किये गये उपबंधों की विस्तार से जानकारी दी अंत में विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद एवं अन्य प्राध्यापकों के द्वारा समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया. अंत में प्रो. पंकज जैन के द्वारा समस्त अतिथियों, विधि विभाग के छात्र-छात्राओ, एनएसएस के स्वयंसेवको एवं स्टॉफ के प्रति आभार व्यक्त किया. उक्त कार्यशाला में विधि विभाग के शैलेष अग्रवाल, ओमेश्वर, जयप्रकाश साहू, जितेश, टिकेश, आकाश, प्रकाश, अंतरा, ईश्वरी, गायत्री, प्रेमलता, मुकेश, आशीष, प्राची शर्मा, तुषार, जयप्रकाश, राकेश, हेमराज, कुलेश्वर, कृष्णा, रूपेश, प्राची, लक्ष्मी, हिमांशु सहित विधि विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवको का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ.

NATIONAL UNITY DAY

महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता का शपथ ग्रहण करते महाविद्यालय परिवार।

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता का शपथ ग्रहण करते एवं एकता दौड़ का आयोजन रासेयो स्वयंसेवक व महाविद्यालय परिवार।

CONSTITUTION DAY

कॉलेज में विद्यार्थियों और सरकारी दफ्तरों में अधिकारी-कर्मचारियों ने ली

संविधान दिवस मनाकर देश के

प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करते पीजी कालेज के विद्यार्थी।

संविधान की शपथ लेते पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी व स्टाफ।

- फोटो : नईदुनिया

धमतरी। नईदुनिया प्रतिनिधि

विभिन्न संस्थाओं ने संविधान दिवस मनाकर देश के कानून पर आस्था प्रकट की। कॉलेज में विद्यार्थी, स्टाफ और विभिन्न शासकीय कार्यालय में कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया गया।

26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का कुछ अंश लागू किया गया था। तब से संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर सोमवार को बीसीएस शासकीय पीजी कॉलेज में प्राचार्य डॉ.चंद्रशेखर चौबे ने संविधान की प्रस्तावना का पठन कर सामूहिक वाचन करवाया। विधि विभाग में व्याख्यान

संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया

माला हुआ। प्रो.दुर्गेश प्रसाद ने कहा कि संविधान की उद्देश्य ही संविधान की मार्गदर्शिका है। बीएससी भाग दो के छात्र अमरनाथ ने कहा कि देश की व्यवस्था संचालन के लिए संविधान बनाया गया। अशफाक ने कहा कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। एलएलबी के छात्र शैलेष ने कहा कि विविधता में एकता ही भारतीय संविधान की पहचान है। प्रेमलता ने कहा कि विश्व का सर्वोत्तम संविधान भारतीय संविधान है। छात्रा भारती मारकंडे ने संविधान के इतिहास, ईश्वरी तारक ने संविधान प्रदत्त अधिकार, कर्तव्य, प्रो.कोमल प्रसाद यादव ने स्वराज्य के इतिहास पर विस्तार से बताया। प्रो. पंकज जैन ने भारतीय शासन अधिनियम और डॉ. सपना ताम्रकार ने भारतीय संविधान निर्माण में डॉ. हरि सिंह गौर के महत्वपूर्ण योगदान को बताया।

पॉलीटेक्निक में प्रस्तावना का सामूहिक वाचन

पॉलिटेक्निक कॉलेज धमतरी के प्राचार्य लोकेंद्र सिंह एवं संस्था के अधिकारी-कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। संविधान की प्रस्तावना का सामुहिक रूप से वाचन किया गया। संविधान निर्माण में बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर के योगदान को याद किया गया।

राजनीति विज्ञान परिषद में कार्यक्रम

पीजी कॉलेज के राजनीति विज्ञान परिषद में भी संविधान दिवस मनाया गया। परिषद की अध्यक्ष भारती साहू एवं लक्ष्मी लावत्रे ने संविधान का महत्व बताया। निशा तिवारी ने भारतीय संविधान को विश्व का अनूठा अनुपम संविधान बताया। प्रो. पुष्पा ई दर्गिस ने संविधान की प्रस्तावना पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संविधान को व्यक्ति की गरिमा का रक्षक बताया। विभागाध्यक्ष डॉ. प्रभा वैरूलकर ने संविधान के निर्माण के बारे में बताया।

संविधान की नजर में स्त्री-पु

■ नवभारत समाचार। धमतरी.

संविधान दिवस

- पीजी कॉलेज में संविधान दिवस पर कार्यशाला
- छात्र-छात्राओं को दी गई संविधान की जानकारी

बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में संविधान दिवस के अवसर पर प्राचार्य डॉ. चन्द्रशेखर चौबे व्दारा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठन समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा छात्र-छात्राओं को कराया गया. विधि विभाग में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया. सर्वप्रथम प्रो. दुर्गेश प्रसाद ने कहा कि संविधान का उद्देश्य ही संविधान की मार्ग दर्शिका है साथ ही उन्होंने कहा कि कानून के समक्ष सभी समान है. सभी को संविधान का पालन करना चाहिए. बीएससी भाग दो के छात्र राहुल शर्मा ने कहा कि विश्व के सभी संविधानों में सर्वश्रेष्ठ संविधान भारतीय संविधान है. बीएससी भाग दो के छात्र अमरनाथ ने कहा कि देश की [illegible] संविधान का निर्माण किया गया. अशफाक ने कहा कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए. एलएलबी के छात्र शैलेष ने कहा कि विविाधता में एकता ही भारतीय संविधान की पहचान है. [illegible] कु. भारती मारकण्डे ने संविधा[न के] इतिहास पर प्रकाश डाला. ईश्वरी तारक ने संविधान में अधिकार, कर्तव्य पर जोर दि[या] कोमल प्रसाद यादव ने स्वरा[ज्य के] इतिहास पर विस्तार से चर्चा क[रते] कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेड[कर] संविधान बनाने में महत्वपूर्ण [भूमिका] है. प्रो. पंकज जैन ने भारतीय अधिनियम की महत्ता पर [प्रकाश] डालते हुए वर्तमान समय से की उपयोगिता पर जोर दि[या] सपना ताम्रकार ने कहा [कि] संविधान निर्माण में डॉ. हरिसिं[ह गौर का महत्व]पूर्ण योगदान रहा है.

छात्र-छात्राओं को एफआईआर सहित अन्य मामलों की जानकारी दी गई

पीजी कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर लगा

हरिभूमि न्यूज ▶▶धमतरी

बीसीएस शासकीय पीजी कालेज में प्रभारी प्राचार्य डॉ. श्रीदेवी चौबे के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश श्री सतीश कुमार खाका, ज्युडिशियल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट राहुल शर्मा एवं विधि विभाग के प्राध्यापक प्रो. दुर्गेश प्रसाद, डॉ.सपना ताम्रकार, प्रो. पंकज जैन, प्रो. कोमल प्रसाद यादव एवं डॉ.प्रेमनाथ भारती के मार्गदर्शन में शुक्रवार को प्रातः10.30 बजे से नवीन भवन हॉल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गवा।

उक्त शिविर में न्यायाधीश एवं जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री खाका ने छात्र–छात्राओं को एफआईआर करने की प्रक्रिया, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत चोरी एवं संबंधित अपराध, सिविल एवं दाण्डिक मामले, न्यायालय में साक्ष्य देने संबंधी प्रक्रिया सहित विभिन्न कानूनों की विस्तार से जानकारी दी। ज्युडिशियल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट श्री राहुल शर्मा ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाले प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी प्रदान की।।

महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉ.श्रीदेवी चौबे ने छात्र–छात्राओं को कानून के पहलुओं को समझने एवं कानून का पूर्णतः पालन करने की अपील की। विधि के विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद, डॉ.सपना ताम्रकार, प्रो. पंकज जैन,प्रो.कोमल प्रसाद यादव, डॉ.प्रेमनाथ भारती ने विभिन्न नियम-कानूनों की जानकारी दी। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में विधि भाग एक, दो एवं तीन के समस्त छात्र–छात्राएं, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक सहित महाविद्यालय के विभिन्न संकाय के बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित थे।

छात्रों को दिलाया संकल्प

संविधान की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

धमतरी. पीजी कालेज में संविधान दिवस पर प्रभारी प्राचार्य डॉ अनिता राजपुरिया ने अधिकारी-कर्मचारी तथा छात्रों संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया।

विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय संविधान ने प्रत्येक भारतीय नागरिकों को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, न्याय समेत विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान की नजर में सभी स्त्री-पुरूष समान है। डॉ सपना ताम्रकार ने कहा कि संविधान की रक्षा हमारा कर्तव्य है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। प्रो. पंकज जैन ने छात्र-छात्राओं को संविधान के मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों से अवगत कराया। कोमल यादव ने कहा कि भारत एक गणतांत्रिक देश है, यहां कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़कर संवैधानिक पदों को प्राप्त कर सकता है। प्रेमनाथ भारती ने कानून की जानकारी दी। अंत में सभी को संविधान की रक्षा का संकल्प दिलाया गया।